सं0-16/2017/230/38-6-17-1(आरसेटी)/2017

प्रेषक,

एन0एस0 रवि,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक-13 जून, 2017**

विषयः- एनआरएलएम योजनान्तर्गत जनपद-बांदा में आरसेटी भवन की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-902/आरसेअी, दि0-04.01.2017 के संदर्भ में महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ के पत्रांक-382/आर.आई.आर.डी./डी.आई.आर.डी./प्रशि0/रूडसेटी/06-07, दि0-18.01.2017 (प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न) द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश सं0-1099/38-6-13-12 एसजीएसवाई/2008, दि0-24.10.2013 के माध्यम से जनपद-बांदा में आरसेटी भवन के निर्माण हेतु जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बांदा परिसर की भूमि में से जनपद की लीड बैंक इलाहाबाद बैंक को निःशुल्क/नामिनल लीज रेन्ट पर उपलब्ध करायी गयी एक एकड भूमि का आवंटन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दि0-24.10.2013 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी, बांदा एवं अग्रणी जिला प्रबंधक, बांदा के मध्य निष्पादित लीज डीड सं0-8313 वर्ष 2013 को निरस्त करते हुए कृपया जनपद में आरसेटी भवन के निर्माण हेतु आरसेटी की मार्ग निर्देशिका के अनुसार नवीन भूमि चिन्हित करते हुए प्रस्ताव आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि भूमि लीड बैंक को निःशुल्क/नामिनल लीज रेनट पर उपलब्ध करायी जा सके।

3- शासनादेश सं0-1099/38-6-13-12एसजीएसवाई/2008, दि0-24.10.2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एन.एस.रवि)
अपर मुख्य सचिव।

सं0-16/2017/230(1)/38-6-2017 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
4- मुख्य विकास अधिकारी, बांदा।
5- जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बांदा द्वारा मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।
6- निदेशक, आरसेटी
7- प्राचार्य/क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बांदा।
8- जनरल मैनेजर/सहायक मैनेजर, इलाहाबाद बैंक।
9- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
10- मुख्य महा प्रबंधक, एसएलबीसी, गोमतीनगर, लखनऊ।
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in